सर्व शिक्षा अभियान, शाहजहाँपुर।
कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहाँपुर।

पत्रांकः 4990-96 /वै0शि0/एस0एस0ए0/2007–08 दिनांक 23/2/09
अध्यक्ष/प्रबन्धक, 1–

जनकल्याण परिषद
उ० प्र० किदवईनगर कानपुर

विषयः वैकल्पिक शिक्षा योजनान्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों द्वारा ए0आई0ई0 प्रा0 संचालन के सम्वन्ध में

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ के पत्रांक सा0 एवं वै0शि0/29285–587/2008–09 दिनांक 25 अगस्त 2008 के अनुसार जनपद शाहजहाँपुर में ए0आई0ई0 प्रा0 केन्द्र संचालन हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई हैं जिसके अनुपालन में आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला परियोजना समिति शाहजहाँपुर की अनुमति के उपरान्त निम्न ए0आई0ई0 केन्द्रों के संचालन करने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती हैं ।

ब्लाक का नाम		ए0आई0 केन्द्रो के नाम
नगर शाहजहाँपुर	कुल - 05	1. शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन ✓ 2. बस स्टेशन शाहजहाँपुर ✓ ✓ 3. मलिन बस्ती शाहजहाँपुर - 2 केन्द्र ✓ 28 ब्रिज ✓ 4. बालगृह शाहजहाँपुर

अतः आपको आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त विकास खण्ड में लक्षित बच्चों को ए0आई0ई0 प्रा0 संचालित करने हेतु निम्न शर्तो के अनुसार कार्यवाही एवं पत्राजात तत्काल उपलब्ध कराना सुनिशिचत करें ।

1. सर्व शिक्षा अभियान की मार्ग दर्शिका के परिशिष्ट 08 के अनुसार 100/–रू0 के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध पत्र, आदेश प्राप्ति के दो दिनों के भीतर।
2: नियम और शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर अध्यक्ष अथवा सचिव के हस्ताक्षर सहित परिशिष्ट 09 पर ।
3. अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रतिनिधि के हस्ताक्षर करने के प्राधिकार के प्रस्ताव की प्रतिलिपि अध्यक्ष/प्रबन्धन द्वारा हस्ताक्षरित परिशिष्ट 03 पर।
4. अनबंध पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगाः–

क– कार्ययोजना एवं एक्शन प्लान तथा समय सारिणी।

ख– विद्यालयीय शिक्षा से वंचित बच्चों के अभिभावकों के सहमति पत्र।(आवासीय ब्रिजकोर्स हेतु)

ग– कार्य करने वाले अनुदेशक एवं कर्मचारियों के नाम, पिता का नाम, शैक्षिक योग्यता सहित सूची (निर्देशानुसार) आदश प्राप्त के दो दिनों के अंदर उपलब्ध करायें

5. केन्द्र संचालन हेतु धनराशि तीन किश्तों में अवमुक्त की जायेगी।
6. प्रथम किस्त 40 प्रतिशत अवमुक्त की जायेगी ।
7. द्वितीय किस्त जारी करने से ब्लाक स्तरीय मूल्यांकन समिति की संस्तुति एवं पूर्व प्रथम किस्त का 75 प्रतिशत या अधिक धन का उपभोग प्रमाण पत्र मदवार प्रस्तुत करना होगा ।
8. अन्तिम/तृतीय किस्त जारी करने के लिये संस्था को लिखित अनुरोध, अभिलेखीकरण एवं चार्टड एकाउन्टेन्ट से ऑडिट स्टेटमेन्ट/निर्गत राशि का उपभोग प्रमाण पत्र देना होगा। प्रत्येक ए0आई0ई0 केन्द्र पर न्यून्तम 25 विद्यालीय शिक्षा से वंचित बच्चों की संख्या होना आनिवार्य है।

9. केन्द्र पर 06–11 वय वर्ग के शिक्षा से वंचित बच्चें ही नामांकित होंगे वर्ष 2008–09 के हाउस होल्ड सर्वे के आधार पर।

10. ए०आई०ई० प्रा० के पंजीकृत/अध्ययनरत् सभी बच्चों को केन्द्र समाप्ति उपरांत बच्चे के निकटतम प्राथमिक विद्यालय में स्तर अनुसार कक्षा में नामांकित कराये गये बच्चों की सूची सम्बन्धित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी से जांचोपरान्त अन्तिम किस्त निर्गत की जायेगी।

11. केन्द्र का राज्य, मण्डल, जिला एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जायेगा।

12. केन्द्र पर निर्धारित छात्र संख्या से कम/छात्रों के अनुपस्थित पाये जाने पर अनुदान में कटौती कर दी जायेगी।

13. बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करने हेतु एक चिकित्सक की व्यवस्था करनी होगी।

14. बच्चों को संपूर्ण पठन–पाठन सामग्री संस्था को स्वयं उपलब्ध करानी होगी।

15. निर्धारित तिथि तक अनुबंध पत्र एवं समस्त अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने पर यह माना जायेगा कि संस्था केन्द्र संचालन की इच्छुक नहीं हैं और आपके ए०आई०ई० प्रा० का आबंटन रदद करके किसी अन्य को आवंटित कर दिया जायेगा।

16. बच्चों की व्यक्तिगत प्रगति आख्या मासिक उपलब्ध करानी होगी।

17. राष्ट्रीय पर्वो पर बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक, स्वैच्छिक कार्यकम आयोजित करने एवं उच्चाधिकारियों को संस्था द्वारा आमांत्रित करना होगा।

18. निदेशक साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा द्वारा दिये सभी निर्देशों का पालन करना होगा।

संलग्न :

1. हाउस होल्ड सर्वे 2008–09।
2. केन्द्र संचालन के विभिन्न चरण(पत्र)।
3. अनुबंध पत्र।
4. नियम व शर्ते।

जिला समन्वयक (वै०शि०)
शाहजहाँपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
शाहजहाँपुर।

पत्रांक: /वै०शि०/एस०एस०ए०/2008–09 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. राज्य परियोजना निदेशक महोदय लखनऊ।
2. अपर राज्य परियोजना निदेशक महोदय, लखनऊ।
3. निदेशक साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा महोदय, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी महोदया, शाहजहाँपुर।
5. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, शाहजहाँपुर।
6. सहयक शिक्षा निदेशक बेसिक, तृतीय मण्डल, बरेली।

जिला समन्वयक (वै०शि०),
शाहजहाँपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
शाहजहाँपुर।